

**कार्यालय,  
समित्व, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
आरतर परेरा जखनखु।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1332

तारखण्ड: दिनांक: 18-5-2019

**-कार्यालय आप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, आरतर जखनखु में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, आरतर जखनखु की अध्यक्षता में परिषद/कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/परिवर्तन/प्रवेश प्रवेश द्वार/कक्षा हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक में सत्र-19 में द्वितीय पार्टी में विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन करने वाली द्वितीय तकनीक संस्था का उल्लेख किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र प्रथम-द्वितीय तक विस्तार निर्णय लिया गया -

**संलग्नक-3 में अखिल निजी क्षेत्र में स्थित द्वितीय तकनीक संस्थाएं, जिनके द्वितीय पार्टी में विद्यार्थी का पाठ्यक्रम संशोधन हेतु ए0आई0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विस्तार विस्तार किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पार्टी में विद्यार्थी का पाठ्यक्रमों के संशोधन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।**

उक्त विस्तार/परिवर्तन/प्रवेश प्रवेश द्वार/कक्षा की विविध समिति एवं विषय-विशेषक द्वारा की गयी समीक्षा तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय को आधार में प्राथमिक शिक्षा परिषद, आरतर जखनखु द्वारा सत्र 2019-20 हेतु गिन्यायित पार्टी के अंतिम पाठ्यक्रम एवं प्रवेश द्वार/कक्षा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0टी0ई0/विशेषक कार्य-द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित करने का आधार	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 अनुमोदित करने का आधार
1	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0टी0ई0/विशेषक कार्य-द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित करने का आधार	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 अनुमोदित करने का आधार

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था सत्र 2019-20 प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा, सत्र 2019-20 प्राथमिक शिक्षा परिषद परिषद/कार्यालय, आरतर जखनखु में स्थित विद्यार्थी एवं अध्यापकों का अनुमोदन करेगी तथा सत्र 2019-20 प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क अर्ज करेगी। द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- अधिभार, दो वर्षों तक की पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- अधिभार एवं एक-वर्ष के अंतिम पाठ्यक्रमों एवं द्वितीय तकनीक पाठ्यक्रम के अधिभार हेतु रु०- 30,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्राप्ति कर/सत्र के साथ किए जायेंगे। उपरोक्त की अधिभार राशि/सत्रों की पूर्णता के सम्बन्ध में सत्र-सत्र का हिसाब द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सत्र/सत्रों के अंत में, और अनुमोदन आवेदियों द्वारा प्रदान आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र सत्र 2019-20 हेतु सत्र का अनुमोदन किया जाता है, जो सत्र की परिषदों में अनुमोदित होगी।
- ✓ संस्था को ए0आई0 प्राथमिक शिक्षा परिषदों द्वारा एवं समीक्षा, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जायेंगे। ए0आई0टी0ई0-2019 की शर्तों का अनुमोदन करके होगा।







**कार्यालय,  
राष्ट्रीय पारिधिक्त शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- पारिधा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

अवकाश दिनांक: 09/06/2021

**कार्यालय भाग-**

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत पारिधिक्त शिक्षा परिषद, 30/00/सम्बद्धता से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गटे निर्णय के अनुसार में विभिन्न संस्था को पारिधिक्त शिक्षा परिषद, 30/00/सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधिन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 2298-RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, GOVINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, I.

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/फी/वीसी/आई/ए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/फी/वीसी/आई/ए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिधिक्त शिक्षा परिषद वक्त 1982 तथा पारिधिक्त शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधिवत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इजी/ पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय कार्यक्रमों हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वषीय कर्मचारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्याप्त काररक्षक से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावासों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साफल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले छात्रवटेश प्रकली होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। फिस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो वीस की ब्यौतालय दे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30/00) पारिधिक्त शिक्षा विनियम तथा 30/अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुमोदित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीक्षण सल्लादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीटों/फी/वीसी/आई/ए से आवासीय सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विनियम/अधिनियम/आवक/सर्वोच्च/निर्देश एवं निर्देशक, पारिधिक्त शिक्षा, 30/00, अनुमोदित प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/00 तथा पारिधिक्त शिक्षा परिषद, 30/00 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के निवेद बाध्य होगी।

- ✓ विनियम इन कार्टीसी पाठ्यक्रम की संरचना यदि भी सी.आई. आई दिवसी से अनुसूचित प्राप्त करने से अलग करने की संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बात के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी दायर की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्टीसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कठिननिश्चित धारा होने के पूर्व पीपीपीआईओ से अनुसूचित प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (कान्ट्रिब्यूशन के माध्यम से अथवा इन्हें उत्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लबीनियम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, इलाका, साज-सज्जा, उपकरण, वाहन किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विशाल-परिचालन हेतु उपयुक्त व्यक्तियों उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में वस्तुतः संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निदेशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये भूमिगत, भूमि-अवत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के उद्योग निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, यंत्रोपकरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एं(अनुसूचित)पीपीपीआईओ/परिषद के समस्तनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निदेशननुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुं सं- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3536-4809

दिनांक: 09/08/2021

पता:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, GOVINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, L



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव